अनुदान संख्या 48 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 48 – DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue :**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	660,00,00	690,01,00	675,02,21	-14,98,79
पूरक	Supplementary	30,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,80,80

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹1498.79 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹ 3001.00 लाख के पूरक अनुदानों का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का दो प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹1498.79 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grants of ₹3001.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	415.00	15.98	5.10	-10.88
पु.	R	- 399.02			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	60585.00			
पू.	S.	3001.00	67804.22	67497.11	-307.11
पु.	R.	4218.22			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5000.00			

(I) ₹12320.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹12300.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹12320.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹12300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(A) Major Head "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy - Other Expenditure"

(i) "अनुसंधान अभिशासन को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन" - ₹300.00 लाख ;

(i) "Promotion and Guidance on Research Governance" – ₹300.00 lakhs;

(ii) "चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय" - ₹500.00 लाख ;

(ii) "Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research" – ₹500.00.lakhs;

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी- स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन, समन्वय और विकास"- ₹4900.00 लाख रु;

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Promotion, Co-ordination and Development of Health Research" – ₹4900.00 lakhs;

(ग) "लोक स्वास्थ्य" -

(c) "Public Health" –

(i) "निदेशन और प्रशासन - सरकारों/संगठनों/संस्थाओं के साथ समन्वय" - ₹500.00 लाख;

(ii) "प्रशिक्षण - औषधि और स्वास्थ्य में अनुसंधान" - ₹800.00 लाख ; और

(घ) "सामान्य - अन्य व्यय - औषधि और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में धर्मार्थ और धार्मिक दान" - ₹300.00 लाख ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान नई स्कीमें शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" -₹ 5000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य अनुसंधान विकास" के अंतर्गत ₹409.90 लाख की बचत (₹415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" - "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन/भारत और विदेश में सम्मेलन में सहभागिता" - ₹767.89 लाख की बचत (₹780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में कम बैठकों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11999.00 लाख था।

(i) "Direction and Administration - Co-ordination with Governments/Organizations/Institutions"- ₹500.00 lakhs;

(ii) "Training – Research in Medicine and Health"- ₹800.00 lakhs; and

(d) "General - Other Expenditure - Charitable and Religious Endowments in Medicine and Health Research Areas" – ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to non-taking off of the new schemes.

(B) Major Head "2552" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Indian Council of Medical Research, New Delhi" – ₹5000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat–Department of Health Research" – saving of ₹409.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹415.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2210" – "General – International Co-operation - Organisation/Participation to Conferences in India and Abroad"– saving of ₹767.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹780.00 lakhs) was due to holding of less number of meetings abroad.

2. The above savings were partly (₹12000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research - Allopathy – Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi". Actual excess, however, was ₹11999.00 lakhs.